राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प.32(बी) (1) आब/एल/2009/ 2833 दिनांक : 02.03.2009

वर्ष 2009–10 के लिये पड़त देशी मदिरा दुकानात के बंदोबस्त के संबंध में सूचना

1. इस कार्यालय की आवेदन आमंत्रण सूचना क्रमांक प.32(बी) (1) आब/एल/2009//2782 दिनांक 24.02.2009 के क्रम मे सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभिन्न जिलों के जिन देशी मदिरा समूहों हेतु अब तक कोई आवेदन प्राप्त नही हुए है ऐसे समस्त पड़त समूहों हेतु इच्छुक व्यक्तियों से सादे कागज पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है ।

2. इस प्रस्ताव में आवेदक को समूह का नाम तथा उसके लिये आवेदक द्वारा प्रस्तावित वार्षिक राशि का स्पष्ट उल्लेख करना होगा । केवल ऐसे प्रस्तावों पर ही विचार किया जा सकेगा जिसमे प्रस्तावित राशि उस समूह/ दुकान के लिये मूल रुप से निर्धारित वार्षिक राशि की 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा ऐसे प्रस्ताव में से सर्वाधिक राशि के प्रस्ताव को स्वीकार किया जायेगा ।

3. आवेदक को प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि का संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में ड्राफ्ट, बेंकर्स चेक अथवा विभागीय रसीद इत्यादि बतौर अर्नेस्टमनी संलग्न करना आवश्यक होगा ।

4. आवेदक को अर्नेस्टमनी के अतिरिक्त आवेदन शुल्क भी ड्राफ्ट, बेंकर्स चेक अथवा विभागीय रसीद इत्यादि द्वारा जमा कराना होगा जो रुपये 10 लाख तक की मूल वार्षिक राशि के समूह हेतु रुपये 2500/– एवं इससे अधिक वार्षिक राशि के समूह हेतु रु0 5000/– निर्धारित है । आवेदन शुल्क वापसी योग्य नही है ।

5. जिस प्रस्ताव के साथ उपयुक्त अर्नेस्टमनी व आवेदन शुल्क का प्रमाण संलग्न नही होगा, उस पर विचार नही किया जायेगा ।

6. पड़त समूहों जिनके संदर्भ मे प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते है , उनकी सूचि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे देखी जा सकती है।

7. इस सूचना के क्रम में प्रस्ताव संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे बंद लिफाफे में दिनांक 13.03.2009 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिये । इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे अथवा उनके द्वारा निर्धारित व सूचित अन्य स्थान पर दिनांक 13.03.2009 को उपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित प्रस्तावकर्ताओं के समक्ष खोले जायेगें ।

8. आबकारी विभाग को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार करदें ।

9. प्रस्ताव आवेदन के संदर्भ मे शेष शर्ते एवं प्रावधान देशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण बाबत जारी विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो के अनुरुप ही रहेगे ।

10. प्रस्ताव/इच्छुक व्यक्तियों को चाहिये कि किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क करें ।

(सी.पी.व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर